(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 9/2019

बउनवान

1. हीरालाल पुत्र अमरलाल बैरवा निवासी हथोला तहसील खानपुर जिला झालावाड
2. रामकिशन पुत्र अमरलाल बैरवा निवासी हथोला तहसील खानपुर जिला झालावाड

(अपीलांट)

बनाम

1. रामलाल पुत्र नारायण बैरवा निवासी बडाय तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबडौद के तस्दीकी इन्तकाल नंबर 557 दि. 14.06.1942 वाके ग्राम बडाय तहसील छीपाबडौद के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री जितेन्द्र नागर अभिभाषक (अपीलांट)
2– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्रम 1)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 2)

निर्णय दिनांक 31.01.2020

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद के तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 557 दिनांक 14.06.1942 वाके ग्राम बडाय तहसील छीपाबडौद से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 18.6.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 पेरोकार सरकार उपस्थित रहा है। प्रकरण मे एकपक्षीय अपीलांट के अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाके ग्राम बडाय तहसील छीपाबडौद के खसरा नम्बर 103 की रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि मद नं0 1 मे वर्णित आराजी का खातेदार कृषक धन्ना बेटा घासी कोम चमार साकिन बडाय तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ था। यह कि खातेदार धन्ना की मृत्यु होने के बाद उक्त इन्तकाल नम्बर 557 दिनांक 14.6.1942 को खोला गया था, जो गलत रूप से नारायण बेटा धन्ना के नाम खोला गया था। क्योकि धन्ना के बेटा नारायण के अलावा एक बेटी केसरबाई जो अपीलांन्ट्स की माता है, जायन्दा पुत्री है। उसके नाम नही खोला गया था। इस कारण उक्त इन्तकाल नम्बर 557 दिनांक 14.6.1942 त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय है।

मृतक धन्ना का वंश वृक्ष इस प्रकार है :– केसरबाई पुत्री (मृतक), नारायण पुत्र (मृतक) हीरालाल केसरबाई का पुत्र (अपीलांट क्रम 1) रामकिशन केसरबाई का पुत्र (अपीलांट क्रम 2) रामलाल नारायण का पुत्र (रेस्पोडेन्ट क्रम 1) यह कि अपीलांट की माता केसरबाई का स्वर्गवास दिनांक 22.10.2018 को हो चुका है तथा अपीलांट्स हीरालाल व रामकिशन उसके जायज वारिस एवं कायम मुकामान है। यह कि खातेदार धन्ना के पुत्र नारायण का स्वर्गवास होने के बाद उक्त विवादित आराजी वर्तमान मे नारायण के पुत्र रामलाल रेस्पो0 क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित है।

यह कि मृतक धन्ना बेटा घासी के दो संतान पुत्र नारायण व पुत्री केसरबाई थी। इस कारण मृतक धन्ना का इन्तकाल उक्त दोनो संतानो के नाम बांट बराबर से दर्ज होना चाहिये। क्योंकि मृतक धन्ना की सम्पत्ति मे उसके पुत्र नारायण व पुत्री केसरबाई का 1/2, 1/2 हिस्सा व हक है। लेकिन केसरबाई के नाम इन्तकाल नही खोले जाने से उक्त इन्तकाल नम्बर 557 दिनांक 14.6.1942 गलत एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय है।

यह कि इन्तकाल नम्बर 557 दिनांक 14.6.1942 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा यह बताने पर कि आपके नाना धन्नालाल का इन्तकाल आपकी माता केसरबाई के नाम नही खुला है, तब अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश कर नकले प्राप्त की। अस्तु जानकारी के अभाव मे हुये विलम्ब को कन्डोन करने बाद अपील अन्दर मियाद पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पर के साथ संलग्न है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा खोला गया इन्तकाल नम्बर 557 दिनांक 14.6.1942 वाके ग्राम बडाय तहसील छीपाबडौद निरस्त फरमाया जाकर पुनः नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का मनन विश्लेषण करने से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरण वर्ष 1942 का है। इस न्यायालय के विनम्र मत मे यह उपयुक्त होगा कि अपीलांट प्रथमतः सक्षम विचारण न्यायालय मे नियमानुसार खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा प्रस्तुत करे।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.02.12 17:31:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: